कृषि विभाग

आश्वासन संख्या–106/18

प्रसंग एव विषय

आश्वासन प्रश्न संख्या–106/18

प्रश्न कर्त्ता :– **श्रीमति सुनीता सिंह चौहान, माननीय स०वि०स०।**

विषय :– सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन का निर्माण कराने के संबंध में।

आश्वासन संख्या– 106/18 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन

आश्वासन :– **श्री प्रेम कुमार, मंत्री** :– महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 652, दिनांक – 30.08.17 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुरोध किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, सीमामढ़ी के पत्रांक–285, दिनांक–01.03.18 द्वारा प्रतिवदित किया गया है कि अंचलाधिकारी, परसौनी के पत्रांक– 83, दिनांक 28.02.18 द्वारा सूचित किया गया है कि परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं है, सरकार परसौनी अंचल एवं प्रखंड परिसर हेतु 5 एकड़ 64 डी० भूमि के अधिग्रहण हेतु राशि जिला को उपलब्ध करा दी गयी है। भूमि अधिग्रहण के उपरान्त ई–किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा।

श्रीमति सुनीता सिंह चौहान :– महोदय, मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह सरकार कृषि पर विशेष ध्यान देती है और प्रतिवर्ष कृषि के बजट में चार पाँच गुणा वृद्धि भी हुई है। बजट में ई–किसान भवन के लिए प्रावधान भी किया गया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भी ई–किसान भवन के निर्माण हेतु जिले को राशि क्यों नही आवंटित की गयी है ? महोदय, कल ही कृषि बजट की घोषण की गयी अब साल में तीन बार किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा तो मा० मंत्री जी से ये बताने का कष्ट करें कि परसौनी में ई–किसान भवन ही नही बना है तो चौपाल कहाँ लगेगा ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री :– महोदय, किसान चौपाल लगाने का जो हमारा प्रोग्राम है वह पंचायत स्तर पर है और ई–किसान भवन का कंसेप्ट जो सरकार का महोदय है वह प्रखंड लेबल पर है। जैसा कि

मा० सदस्या ने कहा है, हम निश्चित तौर पर जैसा कि उन्होने कहा कि जमीन उपलब्ध था तो इसकी जाँच हम करवा देते हैं और हमारा प्रयास होगा और जल्द से जल्द राशि उपलब्ध करवाकर ई–किसान भवन का निर्माण कराया जायेगा।

श्रीमति सुनीता सिंह चौहान :– कब तक जाँच करवाकर के बनवा देंगे, समय सीमा निर्धारित कर दें।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री :– हम जाँच तो महोदय एक सप्ताह के अन्दर करवा देते हैं यदि जमीन था और रिपोर्ट गलत आया है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और जैसे ही जिलाधिकारी के द्वारा जमीन उपलब्ध करा दिया जायेगा महोदय तो एक महीने के अन्दर जमीन उपलब्ध होने के बाद हमलोग काम शुरू करा देंगे।

कार्यान्वयन प्रतिवेदनः– सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन निर्माण के लिए अंचल अधिकारी, परसौनी को जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन निर्माण हेतु आवश्यक रकवा में भूमि उपलब्ध कराने हेतु लगातार अनुरोध किया गया है एवं किया जा रहा है। कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 891 दिनांक 10.12.2014, पत्रांक 632 दिनांक 19.10.2015 अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या 144–169 दिनांक 23.02.2016, पत्रांक 543 दिनांक 02.09.2016, विभागीय पत्रांक 431 दिनांक 23.05.2017, पत्रांक 652 दिनांक 30.08.2017, पत्रांक 293 दिनांक 27.03.2018 एवं पत्रांक 601 दिनांक 24.07.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भूमि उपलब्धता हेतु पत्र लिखा गया है। अंचल अधिकारी ने अपने पत्रांक 83 दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परसौनी अंचल अन्तर्गत ई–किसान भवन हेतु सरकारी भूमि वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं है। सरकार द्वारा परसौनी अंचल एवं प्रखंड परिसर हेतु 4.64 डिसमिल भूमि अधिग्रहण हेतु राशि जिला को उपलब्ध करायी गयी है। प्रखंड एवं अंचल हेतु भूमि उपलब्ध होते ही उसी भूमि में से ई–किसान भवन हेतु भूमि उपलब्ध करा दी जायगी। अपर समाहर्त्ता सीतामढ़ी द्वारा भी भूमि उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी परसौनी से पत्रांक 609 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा पत्राचार किया गया है।

आज की तिथि तक परसौनी प्रखंड में ई–किसान भवन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण की कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अतः कृषि विभाग के विरूद्ध लंबित आश्वासनों की सूची से इसे विलोपित करने की कृपा की जाए।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/उप.अनु.–तारांकित–मि.जाँ.प्रयो.–16/2018 .... कृ.,पटना, दिनांक................./2018
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, राजकीय आश्वासन समिति को उनके पत्र सं०–421–424 दिनांक 07.05.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/उप.अनु.–तारांकित–मि.जाँ.प्रयो.–16/2018 .... कृ.,पटना, दिनांक................./2018
प्रतिलिपि :– प्रतिलिपि :– सरकार के अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05/उप.अनु.–तारांकित–मि.जाँ.प्रयो.–16/2018 697 कृ.,पटना, दिनांक 23.8./2018
प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\BARA BABU\ASHWASHAN PRATIVEDAN\SUNITA SINGH CHAUHAN.docx-3